प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

19 अप्रैल 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.558/13-03-225/2022-23 द्वारा श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS. No. S558/13-03-225/2022-23, जिसे आखिरी बार दिनांक 18 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-60/12.23.225/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया था, की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को जारी दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.558/13-03-225/2022-23, अब बैंक पर 19 अप्रैल 2023 से 18 जुलाई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए और लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. समय- समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/80